न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

पीठासीन अधिकारी :- रतनलाल रेगर (आर ए एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 172/2014

प्रार्थीगण :-

1. जोगसिंह पुत्र श्री भवरसिंह
2. वृन्द कवर पत्नी श्री भवरसिंह
3. ओमसिंह पुत्र श्री भवरसिंह
4. बचनसिंह पुत्र श्री अचलसिंह
5. धनेसिंह पुत्र श्री अचलसिंह सभी जाति राजपूत निवासी ग्राम मतौड़ा तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. मनोहरसिंह पुत्र श्री धोकलसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम मतोडा तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर
2. ओमू देवी पत्नी श्री माधाराम जाति जाट निवासी ग्राम धुन्धाडिया तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर ।
3. श्री तहसीलदार ओसियाँ जिला जोधपुर

उपस्थिति :-

प्रार्थी की ओर से :- श्री घेवरराम विश्नोई

अप्रार्थीगण की ओर से :- दिनेश कुमार मदेरणा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-: निर्णय :-

दिनॉक 05/3/19

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सख्या 01 की एक ही परिवार के व्यक्ति है प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र के पद सख्या 01 में वंशावली वंशवृक्ष बनाया गया तथा तथ्य अंकित किये कि जवाहरसिह के चार पुत्र अचलसिह गायडसिह धोंकलसिह दलपतसिह जी थे जो फौत हो चुके है अचलसिह प्रार्थीगण सख्या 01 के दादा प्रार्थी सख्या 02 ससुर व प्रार्थी सख्या 03 से 05 के पिता है गायडसिह लाऔलाद फौत हो चुके है दलपतसिह बींजराजसिह के गोद चले गएलेकिन गायडसिह का अपना नाम दर्ज करवा लिया गायडसिह के हक अधिकार व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा सख्या 80 रकबा 12 बीघा 06 बिश्वा खसरा सख्या [illegible] रकबा 49 बीघा 19 बिश्वा, ग्राम मतौडा में आयी हुई है खसरा सख्या 80 रकबा 12 बीघा 06 बिश्वा [illegible] प्रार्थीगण की रहवासीय ढाणीयॉ बनी हुई है तथा वक्त सेन्टलमेन्ट से ही कब्जा चला आ रहा है चूँकि गायडसिह ही [illegible] की सम्पूर्ण कागजी कार्यवाही करते थे इसलिए जमाबन्दी में अपना ही नाम दर्ज करवा लिया इसलिए गॉव के लोगो की पच पंचायती के आधार पर दिनॉक 03.02.1985 को 1500 रूपये अदा कर लिखापढी करवा ली थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:33:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मगर रजिस्ट्री नही करवाने के कारण रेवेन्यू रेकर्ड में नाम दर्ज नही हो सका जिसके लिए प्रार्थीगण के द्वारा वर्षो से तहसीलदार व अन्य रेवेन्यू अधिकारीयों के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किये व मगर राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज नही किया गया खसरा सख्या 92 रकबा 49 बीघा 19 बिश्वा ग्राम मलोड़ा सम्पूर्ण भूमि अंकित ईकरारनामा दिनॉक 07.12.1992 प्रार्थीगण सख्या 01 व 02 के पिता पति मवरसिह व प्रार्थीगण सख्या 03 से 05 को बेचान कर दी व मौके पर कब्जा भौतिक रूप से सुपुर्द कर दिया तथा मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे। ईकरारनामा में यह शर्त तय हुई थी खसरा सख्या 92 की भूमि 25000 रूपये मे बेचान तय कर बेचान की थी जिसमे से 20000 रूपये उसी वक्त रोकड़ प्राप्त कर लिये शेष 5000 रूपये पजीयन के वक्त देना तय हुआ था तथा सम्पूर्ण पंजीयन ईत्यादि करवाने का जिम्मा गायडसिह स्वय ने अपने पास रखा काफी समय तक बेचाननामा पजीजयन नही करवाया तब शेष 5000 रूपये गायडसिह को दे दिये इसी प्रकार से खसरा सख्या 80 की रजिस्ट्री भी बेचान अनुसार गायडसिह ने वचन दिया कि जब भी रजिस्ट्री सम्भव होगी शिघ्र ही करवा देगा। उक्त बेचान करने के बाद लगातार उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त चलता रहा उस दौरान गायडसिह निर्वसियति नाऔलाद देहान्त हो गया तो अप्रार्थीगण सख्या 01 गलत तरीके से गायडसिह की अन्य भूमि के साथ उक्त बेचानसुदा भूमि को भी शामिल कर एक फर्जी वसियतनामा तैयार करवा लिया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण सख्या 01 व 02 के पिता व पति व अन्य प्रार्थीगण को नही थी जब उक्त फर्जी वसियत की जानकारी हुई तो प्रार्थीगण ने अपने गॉव के मुख्यान को ईक्टठा कर उक्त फर्जी वसियत की बात बताई तो मुख्यान ने अपनी पंच पचायती मे प्रार्थीगण को बेचान सुदा भूमि के बदले खसरा सख्या 345 रकबा 64 बीघा 13 बिश्वा मौजा ग्रा सॉवता में 1/3 हिस्सा जो अप्रार्थीगण मनोहरसिह का था व 1/3 हिस्सा प्रार्थीगण सख्या 01 व 02 के पिता व पति मवरसिह व प्रार्थीगण सख्या 03 से 05 को देना तय किया उसी अनुसार एक लिखित ईकरारनामा दिनॉक 27.06.2006 को गॉव के मुख्यान के समक्ष मनोहरसिह के द्वारा निस्पादित किया गया । जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि ग्राम सॉवता की सरहद मे स्थित खातेदारी भूमि खेत खसरा सख्या 345 रकबा 64 बीघा 13 बिश्वा जिसमें प्रथम खातेदारी का है अपने हिस्से की भूमि बाबत तमाम अधिकार व अधिपत्य प्रथम पक्ष के हक में सुरक्षित है 1/3 हिस्सा प्रार्थीगण यानि द्वितीय पक्षकार को देना स्पष्ट उल्लेख किया तथा मौके पर कब्जा भी द्वितीय पक्षकार को देने का उल्लेख उस ईकरारनामा मे यह भी स्पष्ट उल्लख है कि इस भूमि के एवज मे अन्य भूमि दे दी है तथा खसरा सख्या 345 के 1/3 हिस्से की भूमि पच व मुख्यान के कहे अनुसार रजिस्टी करवाने हेतु अप्रार्थीगण मनोहरसिह को पाबन्द करने हेतु उल्लेख है। उक्त भूमि मे प्रार्थीगण हर वर्ष की भॉति सावणु शाख के रूप मे काश्त आदि करते आ रहे है व हक अधिकार प्राप्त है उक्त ईकरारनामा के अनुसार प्रार्थीगण कब्जा काश्त चलते आ रहे है। अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला दावा जारी की जावे।

प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश मदेरणा द्वारा वकलातनामा व जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जबाब में अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार का कोई बेचान ईकरारनामा दिनॉक 27.06.2006 को निष्पादित नही किया गया है तथा वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण सख्या 01 की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि [illegible] कोई हक अधिकार नही है तथा न ही वादग्रस्त भूमि पर कोई [illegible] का प्रार्थना पत्र मय हर्जे व खर्चे करने का निवेदन किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:33:31 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश होने के पश्चात [illegible]गण के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी पी सी का प्रस्तुत किया गया जो अप्रार्थीगण की सहमति से स्वीकार किया गया व अप्रार्थीगण सख्या 03 की ओर से वकालातनामा पेश किया गया व अप्रार्थीगण सख्या 03 की ओर से जबाब

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण सख्या 01 की ओर से जो प्रस्तुत किया गया था को ही रखने का निवेदन किया। जिस पर पत्रावली बहस में ली गयी।

उभय पक्षकारान बहक सुनी गयी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि को जरिये ईकरारनामा के कब्जा सुपुर्द कर दिया है जिसके आधार प्रार्थीगण ने घोषणा का वादपत्र पेश किया है ईकरारनामा में वर्णित विगत के अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा साबित है तथा दावे के निस्तारण तक यथास्थिति कायम रखी जावे।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तथ्य कहे कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी अप्रार्थीगण सख्या 01 के नाम से दर्ज है उक्त भूमि पूर्व में जवाहरसिह के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि थी जिसमें से जवाहरसिह के देहान्त के पश्चात उक्त भूमि अप्रार्थीगण सख्या 01 के पिता धोकलसिह व अचलसिह व दलपतसिह के नाम से नामान्तरकरण स्वीकार किया गया तत्पश्चात उक्त भूमि के 1/3 हिस्से के खातेदार धोकलसिह का देहान्त होने के पश्चात अप्रार्थीगण सख्या 01 का नाम दर्ज किया गया है जो अप्रार्थीगण सख्या 01 के द्वारा विधिक अधिकारो का प्रयोग करते अपने सम्पूर्ण 1/3 हिस्से के भूमि का बेचान अप्रार्थीगण सख्या 03 के पक्ष में निष्पादित किया है तथा बेचाननामा मे वर्णित अनुसार कब्जा भी अप्रार्थीगण सख्या 03 को सुपुर्द कर दिया है तथा प्रार्थीगण द्वारा जिस तथाकथित वसियतनामा की बात कही है उक्त वसीयत किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा शुन्य घोषित नही की गयी है तथा न ही वसियत में वर्णित भूमि की घोषणा बाबत प्रार्थीगण के द्वारा वादपत्र ही पेश किया गया है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने तथ्यो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

आर आर टी 2013 मोहरपाल बनाम प्रभूसिह पेज 123

आर आर टी 2013 कालू बनाम जगदीश प्रसाद पेज 133

उक्त न्यायिक पेश करने के पश्चात अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि प्रार्थी द्वारा अनरजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट के आधार पर घोषणा का वादपत्र पेश किया है जिस पर घोषणा का अधिकार माननीय न्यायालय को नही है तथा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही है। अन्त में प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का ससमान अवलोकन किया गया अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु विधि द्वारा विहित तीनो बिन्दूओ का निस्तारण निम्नानुसार कया जाना है :-

प्रथम दृष्या मामला :-

प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र के पद सख्या 02 में वर्णित किया गया है कि खसरा सख्या 80 व 92 में 1/2 हिस्से में प्रार्थीगण की रहवासीय [illegible] कब्जा चला आ रहा है। जबकि वादग्रस्त भूमि खसरा सख्या 345 में वक्त सेन्ट [illegible] से [illegible] कब्जा होने बाबत कोई तथ्य अंकित नही किये है जबकि अप्रार्थीगण [illegible] खातेदार है व अपने खातदेारी अधिकारो का प्रयोग करते हुए रजिस्टर्ड [illegible] अप्रार्थीगण सख्या 03 के पक्ष में निस्पादित किया है तथा वादग्रस्त भूमि का कब्जा भी अप्रार्थीगण [illegible] 03 को सुपुर्द करने का बेचाननामा में स्पष्ट उल्लेख है। लिहाजा पृथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:33:31 IST
Reason: SelfAttested

अपूर्णीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन का बिन्दू :-

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण सख्या 01 की खातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थीगण के द्वारा वादपत्र अनरजिस्टर्ड बेचाननामा के आधार पर प्रस्तुत किया है बेचाननामा की वैधता दावा मे सक्षम साक्ष्य से साबित होगी व अप्रार्थीगण सख्या 01 के द्वारा अप्रार्थीगण सख्या 03 के पक्ष मे निस्पादित रजिस्टर्ड बेचाननामा के आधार पर अप्रार्थीगण सख्या 03 का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही किया जा सका इसलिए अप्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा से अपने विधिकपूर्वक खातेदारी हक अधिकारो से महरूम हो रहे है। जबकि प्रार्थीगण का न तो वादग्रस्त भूमि में कोई कब्जा काश्त ही है तथा न ही अनरजिस्टर्ड बेचाननामा के आधार पर हक अधिकार ही प्राप्त है इसलिए अपूर्णीय क्षति व सुविधा के सन्तुलन का बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है उक्त बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्व तय किये जाते है।

चूकि अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण बाबत तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्व उक्त विवेचन के आधार पर तय किये जो चुके प्रार्थीगण अपना पक्ष प्रथम दृष्टया साबित नही कर पाये है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता ।

आदेश

अत प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है तथा पूर्व मे अस्थायी निषेधाज्ञा जो आदेश दिनॉक 14.10.2014 के द्वारा जारी की गयी थी को खारिज किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि तहसील ओसियॉ के राजस्व ग्राम सॉवता के खसरा सख्या 345 रकबा 64 बीघा 13 बिश्वा ग्राम मतोडा के खसरा सख्या 80 रकबा 12 बीघा 06 बिश्वा भूमि अस्थायी निषेधाज्ञा से मुक्त की जाती है।

(रतनलाल रेगर)
आर ए एस
सहायक कलेक्टर ओसिया

आदेश आज दिनॉक 05/3/2019 को हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
आर ए एस
सहायक कलेक्टर ओसिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:33:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner